भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2591 का उत्तर

दक्षिण रेलवे में हाउसकीपिंग सहायक

2591. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में आरआरसी के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए 202 हाउसकीपिंग सहायकों को कार्य से निलंबित कर दिया गया है;

(ख) क्या रेलवे इन 202 हाउसकीपिंग सहायकों को पुनः नियुक्त किए बिना जीईएम पोर्टल के माध्यम से हाउसकीपिंग सहायकों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है;

(ग) क्या यह उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन है जिसके अंतर्गत एक संविदा कर्मचारी को दूसरे संविदा कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन 202 निलंबित हाउसकीपिंग सहायकों को संविदा के आधार पर बहाल रखेगी?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दक्षिण रेलवे में हाउसकीपिंग सहायक के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री सु. वेंकटेशन के अतारांकित प्रश्न सं. 2591 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): क्षेत्रीय रेलों को कुछ विशिष्ट मामलों में, विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करके और यदि यह व्यवहारिक नहीं है, तो खुले बाजार के माध्यम से, छोटी अवधि के लिए, जब तक कि रिक्तियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं भर जाती हैं, कामचलाऊ व्यवस्था के लिए प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, दक्षिण रेलवे द्वारा आवश्यकतानुसार सीमित अवधि के संविदा पर हाउस कीपिंग सहायकों की नियुक्ति की गई थी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

****